(544)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक– /2018 निगरानी

निगरानी-3462/2018/विदिशा/भू.रा. मानसिहं पुत्र परताप सिहं, निवासी–ग्राम आफताप नगर तहसील सिरौज जिला विदिशा, म0 प्र0

——आवेदक

श्री विनोद श्रीवास्तव द्वारा आज 6-6-018 को प्र. प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8-6-18 नियत।

रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

देवी सिहं पुत्र श्री परताप सिहं निवासी– आफताप नगर, तहसील सिरौज जिला विदिशा (म.प्र.)

——अनावेदक

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डल –2 सिरौज जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 91/A12/17–18 मे पारित आदेश दिनांक 11–05–18 के विरूद्ध प्रस्तुत है।</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से आवेदन–पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1. यहकि, आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमांकन कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया कि आफताप नगर प. त. नं 36 राजस्व मण्डल निरीक्षक नं 2 में ग्राम हल्का पटवारी के साथ अनावेदक द्वारा आवेदित भूमी नंबर 145/3 रकबा 0.063 है, का सीमांकन किया गया।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन कार्यवाही से पूर्व आवेदक को किसी प्रकार की सूचना नही दी गई और न ही सीमांकन में विधिक प्रकियाओं का पालन ही किया गया सीमांकन राजस्व निरीक्षक द्वारा न किया जाकर हल्का पटवारी द्वारा किया गया है, जिसे सीमांकन करने की कोई अधिकारिता ही नही है, सीमांकन कार्यवाही में मेरे सरहदी कृषको को सूचना नही दी गई पंचनामा दिनांक 10–5–18 पर कही भी आवेदक के हस्ताक्षर नही है आवेदक की अनुपस्थिती मे ही सीमांकन किया गया है, जिससे आवेदक की भूमी से सर्वे 145/2 मे रकबा 0.028 है, कम हो गया है जिससे दुखी होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी निम्न आधारो पर

XXIX(a)-BR(H)-11

544

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3462/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	